



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता



क्रमांक: एफ.29(1)(7)/मअ/आई.टी./SPPP/2013/13575-607

जयपुर, दिनांक: 27.7.2020


उप निदेशक/सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
समस्त जिले।

विषय :- राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government email service का उपयोग करने के संबंध में।

संदर्भ :- अति.मुख्य सचिव, वित्त विभाग का यू.ओ.नोट क्रमांक प.(1)वित्त/एस.पी. एफ.सी./2013 दिनांक 10.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित यू.ओ.नोट के क्रम लेख है कि सभी नोडल अधिकारियों/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य है। इसी क्रम में आपको भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government email service (username@rajasthan.gov.in) का उपयोग/रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें।

यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व रजिस्टर्ड सार्वजनिक ई-मेल यथा Yahoo, Gmail इत्यादि शीघ्र ही निष्क्रिय/प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।



अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.29(1)(7)/मअ/आई.टी./SPPP/2013/13608-612

जयपुर, दिनांक: 27.7.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, जयपुर, राजस्थान।
2. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, स्टोर, महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, जयपुर।
5. आई.टी. प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

☎ 0141-2716402 : ✉ commissionerwe.wcd@rajasthan.gov.in : 🌐 wcd.rajasthan.gov.in